(51) (27)

O/o Engineer-in-C
M.P. P.W.D. BHOPAL
R.R. No. 886
Date 31/1/05

56

(15)

# मध्यप्रदेश शासन
# लोक निर्माण विभाग
# मंत्रालय

## //आदेश //

कमांक 55 8003/19/योजना/2004

भोपाल, दिनांक 28·1·05

राज्य शासन कार्य विभाग नियमावली - 1983 के चेप्टर 2 सेक्शन 14 की कण्डिका कमांक 2.079 में निविदा हेतु अमानत राशि में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

| क्र. | विवरण | अमानत राशि |
|---|---|---|
| 1. | रूपये 25.00 लाख तक की निविदा के लिए | 2.00 प्रतिशत |
| 2. | रूपये 25.00 लाख से अधिक और रूपये 10 करोड़ तक की निविदा के लिए | 1.00 प्रतिशत न्यूनतम रूपये 50.00 हजार । |
| 3. | रूपये 10.00 करोड़ से अधिक निविदा के लिए | 0.50 प्रतिशत, न्यूनतम रूपये 10.00 लाख एवं अधिकतम रूपये 50.00 लाख । |

उक्त संशोधन जारी होने की तिथि से आमंत्रित निविदाओं पर तत्काल प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.के. जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय

पृष्ठांकन कमांक 555 8003/19/योजना/2004

भोपाल, दिनांक 28/1/05

प्रतिलिपि:-

1) स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल
4) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल
5) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल
6) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल
7) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल
8) सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय को ओर. उनकी टीप क. डी 662/1-3-2/04/नि/चार. दि. 3.12.2004 के संदर्भ में
9) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल .

R.R. 27
1/2/05